दिनांक 08.10.2024
प्रेस विज्ञप्ति 12/2024

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद मऊ/थाना कोतवाली नगर

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 08.10.2024 को थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मुंशीपुरा ओवरब्रिज के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त आकाश को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–आकाश निवासी चर्च कम्पाउण्ड थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर।

जनपद कानपुर देहात/थाना भोगनीपुर

- **लूट की घटना का अनावरण**
- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 35 हजार 500 रूपये नगद**
- **चोरी की 01 मोटर साइकिल**
- **01 मोबाइल फोन आदि बरामद**

दिनांक 08.10.2024 को थाना भोगनीपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर श्याम नगर मण्डी के पास से अभियुक्त सन्तराम उर्फ मंगल को गिरफ्तार कर लूट की घटना का अनावरम किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट के 35

हजार 500 रूपये नगद, चोरी की 01 मोटर साइकिल, 01 मोबाइल फोन आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 23.09.2024 को थाना भोगनीपुर क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना भोगनीपुर पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया, मोटर साइकिल आदि लूट/चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित है। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद जालौन, कानपुर देहात, हमीरपुर, उन्नाव व कमिश्नरेट कानपुर नगर के विभिन्न थानो में लूट, चोरी, धोखाधड़ी, एनडीपीएस एक्ट, आबकारी एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 13 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—सन्तराम उर्फ मंगल निवासी ग्राम पिपरायां थाना आटा जनपद जालौन, हालपता कस्बा पुखरायां थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात।

<u>बरामदगी</u>

1—लूट के 35 हजार 500 रूपये नगद।

2—चोरी की 01 मोटर साइकिल।

3—01 मोबाइल फोन आदि।

<u>कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना बिसरख</u>

- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 03 लाख 82 हजार 928 रूपये नगद**
- **चोरी के सोने—चाँदी के आभूषण**
- **घटना में प्रयुक्त 01 कार आदि बरामद**

दिनांक 08.10.2024 को थाना बिसरख पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सुदामापुरी पुलिया के पास से 02 अभियुक्तों 1— वसीम उर्फ चपटा उर्फ मुस्तकीम

2–फरजन्द अली को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के 03 लाख 82 हजार 928 रूपये नगद, चोरी के सोने–चाँदी के आभूषण, घटना में प्रयुक्त 01 कार आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि थाना बिसरख क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना बिसरख पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया, आभूषण आदि चोरी की घटना से सम्बन्धित है। गिरफ्तार अभियुक्त वसीम उर्फ चपटा उर्फ मुस्तकीम शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद मेरठ, अलीगढ़, हापुड़, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद के विभिन्न थानो में लूट, चोरी, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 16 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना बिसरख पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–वसीम उर्फ चपटा उर्फ मुस्तकीम निवासी ग्राम सरावा थाना खरखोदा जनपद मेरठ।

2–फरजन्द अली निवासी दरगाह सरीफ थाना गढ़मुक्तेश्वर जनपद हापुड़।

बरामदगी

1–चोरी के 03 लाख 82 हजार 928 रूपये नगद।

2–चोरी के सोने–चाँदी के आभूषण।

3–घटना में प्रयुक्त 01 कार आदि।

जनपद बुलन्दशहर/थाना कोतवाली नगर

- **पुलिस कार्यवाही में 01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 06 हजार रूपये नगद**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **घटना में प्रयुक्त 01 दो पहिया वाहन बरामद**

दिनांक 07/08.10.2024 को थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बदनौरा पुल के पास चेकिंग के दौरान दो पहिया वाहन सवार बदमाशों को

रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त सुहैल घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। एक अन्य बदमाश मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से लूट के 06 हजार रूपये नगद, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, घटना में प्रयुक्त 01 दो पहिया वाहन बरामद हुए। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 07.10.2024 को थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद रूपया लूट की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–सुहैल निवासी सोनार वाली गली थाना कोतवाली नगर जनपद बुलन्दशहर।

<u>बरामदगी</u>

1–लूट के 06 हजार रूपये नगद।

2–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

3–घटना में प्रयुक्त 01 दो पहिया वाहन।

<u>कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना सेक्टर–39</u>

- **पुलिस कार्यवाही में 03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **भारी मात्रा में चोरी के सोने के आभूषण**
- **चोरी की 01 मोटर साइकिल**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 08.10.2024 को थाना सेक्टर–39 पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर दादरी रोड शशि कट के पास मोटर साइकिल सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास

किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त भोला उर्फ रोहित घायल हो गया, जिसे अभियुक्त 2–आशीष 3–आकाश सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से भारी मात्रा में चोरी के सोने के आभूषण, चोरी की 01 मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद हुए। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 04.10.2024 को थाना सेक्टर–39 क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना सेक्टर–39 पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण, मोटर साइकिल आदि चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना सेक्टर–39 पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–भोला उर्फ रोहित निवासी भीमनगर थाना विजयनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद।

2–आशीष निवासी ग्राम बालका थाना औरंगाबाद जनपद बुलन्दशहर।

3–आकाश निवासी ग्राम बालका थाना औरंगाबाद जनपद बुलन्दशहर।

बारमदगी

1–भारी मात्रा में चोरी के सोने के आभूषण।

2–चोरी की 01 मोटर साइकिल।

3–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि।

जनपद मेरठ/थाना जानी

- **पुलिस कार्यवाही में 01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट) बरामद**

दिनांक 08.10.2024 को थाना जानी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम टीकरी नहर पुलिया मोड़ के पास चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाश को

रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त अभियुक्त अरशद घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट) बरामद हुए। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद मेरठ के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, गैंगेस्टर एक्ट, सीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के एक दर्जन अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना जानी पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अरशद निवासी जानी कला थाना जानी जनपद मेरठ।

बरामदगी

1–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

2–01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट)।

जनपद बाराबंकी/थाना कोतवाली नगर

- **06 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी/धोखाधड़ी के 06 लाख 05 हजार 660 रूपये नगद**
- **चोरी/धोखाधड़ी के सोने के आभूषण**
- **लगभग 01 करोड़ 50 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 01 किलो 420 ग्राम अवैध स्मैक आदि बरामद**

दिनांक 08.10.2024 को थाना कोतवाली नगर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर माल गोदाम रोड के पास से 06 अभियुक्तों 1–शक्तिवेल 2–रिशन 3–चन्दू 4–वेंकटेश 5–गणेश कोडप्पा 6–अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी/धोखाधड़ी के 06 लाख 05 हजार 660 रूपये नगद, चोरी/धोखाधड़ी के सोने के आभूषण, लगभग 01 करोड़ 50 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 01 किलो 420 ग्राम अवैध स्मैक आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 07.10.2024 को थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा चोरी/धोखाधड़ी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया, आभूषण आदि चोरी/धोखाधड़ी की घटना से सम्बन्धित है। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त वेंकटेश के विरूद्ध जनपद बाराबंकी, मिर्जापुर, गोरखपुर, अयोध्या व कमिश्नरेट प्रयागराज व कानपुर नगर के विभिन्न थानो में चोरी, धोखाधड़ी, एनडीपीएस एक्ट आदि के 08 अभियोग, अभियुक्त रिशन, चन्दू के विरूद्ध जनपद बाराबंकी, कमिश्नरेट लखनऊ के विभिन्न थानो में चोरी, एनडीपीएस एक्ट आदि के 08–08 अभियोग एवं अभियुक्त गणेश व शक्तिवेल के विरूद्ध चोरी, एनडीपीएस एक्ट आदि के अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–शक्तिवेल निवासी 157, कक्कन कालोनी, थ्रीरूवेरूम्बुर गिरूचिरापल्ली राज्य तमिलनाडु।

2–रिशन निवासी 156, कक्कन कालोनी, थ्रीरूवेरूम्बुर गिरूचिरापल्ली राज्य तमिलनाडु।

3–चन्दू निवासी 165, कक्कन कालोनी, थ्रीरूवेरूम्बुर गिरूचिरापल्ली राज्य तमिलनाडु।

4–वेंकटेश निवासी 26 सेल्वापुरम फस्ट स्ट्रीट थ्रीरूवेरूम्बुर राज्य तमिलनाडु।

5–गणेश कोडप्पा निवासी वाकीपाड़ा पोस्ट नवापुर थाना नवापुर जनपद नन्दुलबाग राज्य महाराष्ट्र।

6–अभियुक्ता।

बरामदगी

1–चोरी/धोखाधड़ी के 06 लाख 05 हजार 660 रूपये नगद।

2–चोरी/धोखाधड़ी के सोने के आभूषण।

3–लगभग 01 करोड़ 50 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 01 किलो 420 ग्राम अवैध स्मैक आदि।

जनपद बांदा/थाना मरका

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 05 मोटर साइकिल**
- **01अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद**

दिनांक 07/08.10.2024 को थाना मरका पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मरका नगर पुलिया के पास चेकिंग के दौरान 02 अभियुक्तों 1–रोहित 2–अंकित को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 05 मोटर साइकिल, 01अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त रोहित शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद बांदा के विभिन्न थानो में चोरी, एनडीपीएस एक्ट, आबकारी एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 11 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद मोटर साइकिल चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना मरका पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–रोहित निवासी इंगुवा थाना मरका जनपद बांदा।

2–अंकित निवासी पिरखिनी थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट।

बरामदगी

1–चोरी की 05 मोटर साइकिल।

2–01अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस।

जनपद मुरादाबाद/थाना सिविल लाइन

- **04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 05 कुन्तल 84 किलोग्राम ट्रांसफार्मर के तांबे का तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 07/08.10.2024 को थाना सिविल लाइन पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर 04 अभियुक्तों 1—नदीम 2—सलमान 3—इलियास 4—बाबर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के 05 कुन्तल 84 किलोग्राम ट्रांसफार्मर के तांबे का तार, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 01.10.2024 को थाना सिविल लाइन क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना सिविल लाइन पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद तांबे का तार चोरी की घटना से सम्बन्धित है। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसमें अभियुक्त नदीम के विरूद्ध जनपद मुरादाबाद, कमिश्नरेट गाजियाबाद के विभिन्न थानो में चोरी, धोखाधड़ी आर्म्स एक्ट आदि के 08 अभियोग एवं अभियुक्त सलमान के विरूद्ध जनपद मुरादाबाद कमिश्नरेट गाजियाबाद के विभिन्न थानो में चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 04 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना सिविल लाइन पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—नदीम निवासी ग्राम नहरोली थाना एचौडा कम्बोह जनपद सम्भल।

2—सलमान निवासी शेखान कस्बा व थाना सरधना जनपद मेरठ।

3—इलियास निवासी सब्दलपुर तेली थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।

4—बाबर निवासी काजी जादगान कस्बा व थाना बिजनौर।

बरामदगी

1—चोरी के 05 कुन्तल 84 किलोग्राम ट्रांसफार्मर के तांबे का तार।

2—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस आदि।

- **<u>जनपद हरदोई/थाना बिलग्राम (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को सश्रम आजीवन कारावास की सजा व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद हरदोई पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद हरदोई द्वारा थाना बिलग्राम पर पंजीकृत अभियोग में धारा 506 भादवि व 5(एम)/6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त शिवनन्दन को सश्रम आजीवन कारावास व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद फतेहगढ़/थाना कोतवाली फतेहगढ़ (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 24 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद फतेहगढ़ पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद फतेहगढ़ द्वारा थाना कोतवाली फतेहगढ़ पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/504/506 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त करिया को आजीवन कारावास व 24 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद उन्नाव/थाना कोतवाली सदर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 40 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद उन्नाव पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद उन्नाव द्वारा थाना कोतवाली सदर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त मदन कुमार को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 40 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

——————